न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 74/2012

1– श्री गणेश पुत्र स्व0 श्री भूरा जी
2– श्री बद्री पुत्र स्व0 श्री भूरा जी
3– श्री हरीकिशन पुत्र स्व0 श्री भूरा जी
4– श्रीमति शांति पत्नि स्व0 श्री भूरा जी
समस्त जाति रेगर एंव समस्त निवासीयान ग्राम दौलतपुरा प्रथम वाया विजयनगर तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

————वादीगण

ब ना म

1– श्रीमति मगनी पत्नि स्व0 श्री हरदेव जी
2– श्री शिवराज पुत्र स्व0 श्री हीरा जी
3– श्री रामदेव पुत्र स्व0 श्री हीरा जी
4– श्री पूरण पुत्र स्व0 श्री हीरा जी
5– श्री लालू पुत्र श्री जवाना जी
समस्त जाति रेगर एंव समस्त निवासीयान ग्राम दौलतपुरा प्रथम वाया विजयनगर तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0
6– राजस्थान सरकार श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय उप तहसील कार्यालय विजयनगर
7– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मसूदा

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 15.11.2017

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि मौजा भगवानपुरा पटवार क्षैत्र सथाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र विजयनगर तहसील मसूदा में खसरा नंबर 433 रकबा 00–13–00, 434 रकबा 00–05–00, 431/1 रकबा 00–05–00, 436/1 रकबा 00–15–00 कुल रकबा 01–18–00 एंव खसरा नंबर 434/2 रकबा 00–03–00 स्थित है, उक्त भूमियां वादीगण की है तथा वादीगण ही मालिक है, तथा काश्त करते आ रहे है, चाह का भी उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के दादा एंव वादी संख्या 4 के ससुर श्री बख्ता पुत्र छोटू जी रेगर की खातेदारी में चली आ रही थी जो सन् 1972 की सेटलमेंट की पर्ची अनुसार वादी के आधिपत्य में चली आ रही थी। संवत 2045 में वादीगण के कब्जेशुदा भूमि में वादीगणगण का नाम बख्ता होने के कारण प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के ससुर एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 के दादा का नाम भी बख्ता होने का नाजाजय फायदा उठाकर संबंधित अधिकारीगण कर्मचारीगण से मिलीभगती कर वादीगण के दादा बख्ता जी का स्वर्गवास हो जाने पर उनके नाम विवादित भूमि में अपने नाम करवा ली वादीगण का सिजरा वाद पत्र में अंकित है। इस प्रकार वादीगण के पिता व पिता भूरा जी पुत्र बख्ता जी का स्वर्गवास दिनांक 03.03.1990 को हो गया। वादग्रस्त खसरा नंबर 434/2 चाह वादीगण का कुआं है, जिसमें किसी का भी अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमियां जो कि सादियो से बख्ता पुत्र श्री छोटू रेगर के नाम से राजस्व रिकार्ड में चली आ रही थी जो कि वर्किंग जमाबंदी 2041 में बख्ता पुत्र श्री छोटू के नाम आंवटित हुई है, उस जमीन पर आज भी वादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त गलत इन्द्राजो की जानकारी वादीगण को 6 माह पूर्व होने पर वादीगण ने संबंधित अधिकारीगण कर्मचारीगण से मिल दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये लेकिन उनके द्धारा कोई ध्यान नहीं दिया इसलिये वाद प्रस्तुत किया गया अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वादीगण के कब्जे उपभोग में दखलअंदाजी नही करे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

.....लगातार

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 29.01.2014 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में साक्ष्य वादी में गणेश पुत्र भूरा, बद्रीलाल पुत्र भूरा जी, हरीकिशन पुत्र भूरा जी, शांति पत्नि भूरा जी का शपथ पत्र पेश कर वाद पत्र के कथनो को दोहराया। प्रकरण में बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये वाद स्वीकार करने का निवेदन किया।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या 1 नामा. सं0 291 व 396 द्वारा बख्ता पुत्र छोटू रेगर गै.खातेदार दर्ज है एवं वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या 308 में भूरा पुत्र बख्तावर रेगर सा. दोलतपुरा खातेदार दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2042 से 2045 के खाता संख्या 908 में बख्ता पुत्र छोटू गैर खातेदार दर्ज होना पाया गया। एंव जमाबंदी संवत 2046 से 2049 के खाता संख्या 204 में बख्ता पुत्र छोटू के फोत होने पर जरिये विरासत हरदेव, हीरा पिसरान बख्ता के नाम लाल स्याही से इन्द्राज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2050 से 2053 के खाता संख्या 266 में हरदेव, हीरा पिसरान बख्ता गैरखातेदार दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2055 से 2057के खाता संख्या 244 में हरदेव, हीरा पिसरान बख्ता गैरखातेदार दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी नामान्तकरण पृविष्ठि संख्या 40 में बख्ता पुत्र छोटू के स्थान पर हरदेव, हीरा पिसरान बख्ता विरासती नामान्तकरण होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खाता संख्या 38 में अन्य भूमियां वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खाता संख्या 248 में विवादित भूमि हरदेव, हीरा पिसरान बख्ता के नाम दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खाता संख्या 206 में अन्य खसरान सहित विवादित खसरा नंबर 434/2 लालू पि0 जवाना दर्ज होना पाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र भूरालाल पुत्र बख्ता का प्रस्तुत होना पाया गया। उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण के पूर्वज भूरालाल पुत्र बख्तावर का नाम वर्किंग जमाबदी संवत 2041 के खाता संख्या 308 में दर्ज होना पाया गया। किन्तु विवादित भूमियो का नामान्तकरण संख्या 40 के द्धारा बख्ता पुत्र छोटू का जरिये विरासती दाखिल खारीज हरदेव, हीरा पिसरान बख्ता के नाम गलत खोला गया जबकि बख्ता पुत्र छोटू के स्थान पर भूरा पुत्र बख्ता के नाम खोला जाना चाहिये था जबकि वादीगण द्धारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने कोई खण्डन स्वरूप जवाबदावा भी प्रस्तुत नही किया बल्कि न्यायालय द्धारा सम्मन जारी होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर एंव दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा भगवानपुरा पटवार क्षैत्र सथाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र विजयनगर तहसील मसूदा में खसरा नंबर 433 रकबा 00–13–00, 434 रकबा 00–05–00, 431/1 रकबा 00–05–00, 436/1 रकबा 00–15–00 कुल रकबा 01–18–00 एंव खसरा नंबर 434/2 रकबा 00–03–00 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार, मसूदा को आदेश दिये जाते है, कि यथानुसार वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी पैदा नही करे तथा वादीगण को वादग्रस्त भूमियो से बेदखल नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/17 को मेरे द्धारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.30 16:15:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: